फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बस स्टेण्ड, नाथद्वारा(10452) जिला राजसमंद

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. मैसर्स श्रीनाथ द्वारकेश ट्रेडर प्रो. श्रीमती किरण कंवर पत्नी श्री हेमेन्द्र गोरवा पताः 77,78 श्रीजी कॉलोनी, ग्राम उपली ओडन, एन.एच. 08, नाथद्वारा जिला राजसमंद **–अप्रार्थीगण/ऋणी**
2. श्री हेमेन्द्र सिंह गोरवा पुत्र श्री डूँगर सिंह गोरवा नि. 77,78 श्रीजी कॉलोनी, ग्राम उपली ओडन, एन.एच. 08, नाथद्वारा जिला राजसमंद
3. श्री पीयूष कुमार ध्रुव पुत्र श्री परवीन चन्द्रा नि. 53 श्रीधर सरिता बिल्डिंग, देवीवास लेन, सेन्ट लोरेन्स के पीछे, पश्चिम मंडपेश्वर, मुम्बई – 3 **– जमानतदार**

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 87/2022**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 26.12.2022 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बस स्टेण्ड, नाथद्वारा ने दिनांक 28.11.2022 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक ने ऋणी मैसर्स श्रीनाथ द्वारकेश ट्रेडर प्रो. श्रीमती किरण कंवर पत्नी श्री हेमेन्द्र गोरवा नि. 77,78 श्रीजी कॉलोनी, ग्राम उपली ओडन, एन.एच. 08, नाथद्वारा जिला राजसमंद को रूपये 20,00,000/– का ऋण स्वीकृत किया था इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजो को निष्पादित कियें थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अर्न्तगत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित चल सम्पत्ति Hypothecation Stock जो 77, 78 श्रीजी कॉलोनी, ग्राम उपली ओडन, एन.एच. 8, नाथद्वारा जिला राजसमंद है, एवं अचल संपति भूमि एवं भवन संपति जो प्लाट नं. 77,78 श्रीजी कॉलोनी ग्राम उपली ओडन, एन.एच. 08, नाथद्वारा जिला राजसमंद में स्थित है जो श्री हेमेन्द्र सिंह गोरवा पुत्र स्व. श्री डूँगर सिंह गोरवा और श्रीमती किरण कंवर पत्नी श्री हेमेन्द्र गोरवा के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 2400 वर्गफिट है। जिसके पड़ौस निम्नानुसार हैः– पूर्व : रोड़, पश्चिम : प्लाट नं. 76, उत्तर : रोड़, दक्षिण : प्लाट नं. 79 है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक	-

द्वारा दिनांक 30.04.2021 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपति (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। ऋणी के ऋण खाते में रूपये 18,18,082/–रू. दिनांक 13.06.2022 तक एवं इसके पश्चात से ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने के लिये बकाया निकलने से राशि की मांग की है। उक्त ऋणी को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी को दिनांक 13.06.2022 को नोटिस दिया गया। धारा 13(2) का नोटिस ऋणी को 11.07.2022 को ऋणी द्वारा नोटिस प्राप्ति के पश्चात् भी संपूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवायी गयी है और प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम की धारा 14 के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन प्रतिभूत आस्तियों को कब्जे में लेने का हकदार है। आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बस स्टेण्ड, नाथद्वारा द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुसार बंधक चल सम्पतिः Hypothecation Stock 77,78 श्रीजी कॉलोनी, ग्राम उपली ओडन, एन.एच. 8, नाथद्वारा जिला राजसमंद है, एवं अचल संपति भूमि एवं भवन संपति जो प्लाट नं. 77,78 श्रीजी कॉलोनी ग्राम उपली ओडन, एन.एच. 08, नाथद्वारा जिला राजसमंद में स्थित है जो श्री हेमेन्द्र सिंह गोरवा पुत्र स्व. श्री डूँगर सिंह गोरवा और श्रीमती किरण कंवर पत्नी श्री हेमेन्द्र गोरवा के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 2400 वर्गफिट है। जिसके पड़ौस निम्नानुसार हैः– पूर्वः रोड़, पश्चिमः प्लाट नं. 76, उत्तर–रोड़, दक्षिण–प्लाट नं. 79 है।

उपरोक्त चल एवं अचल सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बस स्टेण्ड, नाथद्वारा के प्राधिकृत अधिकारी को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बस स्टेण्ड, नाथद्वारा को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट,राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर